अतिआवश्यक स्मरण पत्र-II

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर

क्रमांक: निदे/मुनिदयो/2015/ दिनांक

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
जिला डूंगरपुर,
राजस्थान।

विषयः—आवश्यक दवा सूची में चिकित्सालयों के विभिन्न स्तरों पर दवा की उपलब्धता की समीक्षा बाबत्।

संदर्भ:—निदेशालय को आदेश क्रमांक SPL-1 दिनांक 15.08.2015 1021/1022 दिनांक 17.08.2015, एवं 1265 दिनांक 23.10.2015।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश एवं व पत्र के द्वारा आवश्यक दवा सूची में सूचीबद्ध औषधियों सर्जिकल्स, सूचर्स की चिकित्सालयों के स्तरवार वास्तविक व तर्कसंगत उपयोगिता की समीक्षा हेतु विशेषज्ञों की समिति की बैठक 18.08.2015 को निदेशक(जन स्वास्थ्य) महोदय के कक्ष में आयोजित की गई थी जिससे आपसे निम्न तीन बिन्दुओ पर सूचना चाही गई थी।

- कौन—कौन सी दवाईयों की उपरोक्त चिकित्सा संस्थानों में आवश्यकता नहीं है।
- कौन—कौन सी दवाईयों को आवश्यक दवा सूची में से हटानी हैं अथवा उनकी स्ट्रैन्थ चैंज करवानी है।
- पिछले एक वर्ष में स्थानीय स्तर पर कौन—कौन सी दवाईयाँ कितनी—कितनी मात्रा में एवं किस दर पर खरीदी गई हैं।

उक्त सूचनाए आज दिनांक तक आपके स्तर से अपेक्षित हैं अतः उक्त सूचना आज ही निदेशालय की ई मेल आईडी:— nomndy@gmail.com पर भिजवाते हुये हार्ड प्रति तीन दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। सूचना के अभाव में पडने वाले समस्त विपरीत प्रभाव के लिए आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा निर्देशों की अवेहलना के क्रम में आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवा दिया जायेगा।

Sd/-
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज. जयपुर।

क्रमांक: निदे/मुनिदयो/ 2015/1510 दिनांक 14/12/15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1 जिला परियोजना समन्वयक, जिला औषधि भण्डार गृह ,डूंगरपुर।
2 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि वेबसाईट पर अपलोड करावे।
3 रक्षित पत्रावली ।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज. जयपुर।